श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–02.07.2025 (बुधवार) को समिति कार्यालय, रांची में संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 72 वीं बैठक की कार्यवाही :-

01. **उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, रांची	सदस्य	अनुपस्थित
3.	श्री राजेश बाखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02.) **कार्यसूची की मद संख्या – 01** : दिनांक–08.05.2025 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 71वीं बैठक की कार्यवाही निर्णय को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

03.) **कार्यसूची की मद संख्या–02:** दिनांक–08.05.2025 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 71वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

04.) **कार्यसूची की मद संख्या–03** : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राचार्य कार्यालय आदेशांक–2642, दिनांक–26.11.2024 के माध्यम से समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों जिनकी 10 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ दिये जाने हेतु एक चार सदस्यीय समिति गठित की गई थी। गठित समिति की अनुशंसा प्रतिवेदन बैठक में उपस्थापित की गई;

Kamini Kumar

तद्नुसार समिति की अनुशंसा प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई। प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव को यह निर्देश हुआ कि समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित शिक्षकों को इसका अनुलाभ प्रदान किये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

05) कार्यसूची की मद संख्या -04 : विद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति के विचार-विमर्श के क्रम में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि चूँकि शासी निकाय की पूर्व बैठक में एक मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण एवं अनुमोदन का निर्देश प्राप्त था, जिसके आलोक में एक प्रारूप तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित किया गया है, जिसपर अब तक कोई विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं है। अतएव पुनः इसे शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत कर इसके निदान हेतु समुचित निर्देश प्राप्त करने की कारवाई सुनिश्चित करें। शिक्षकों की घोर कमी को देखते हुए नियुक्ति हेतु स्पष्ट विभागीय निर्देश प्राप्त करने हेतु त्वरित कारवाई प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्रारंभ करने के लिए निदेशित किया गया, ताकि शैक्षणिक कर्यों का संचालन सुगमतापूर्वक हो सके तथा वार्षिक परीक्षाफल प्रभावित न हो।

06) कार्यसूची की मद संख्या-05 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा नेतरहाट प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-26 के संदर्भ में एक मानक संचालन प्रक्रिया का प्रारूप सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार प्रस्तुत प्रारूप को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई। प्राचार्य, सह-सदस्य सचिव को यह निर्देश हुआ कि अविलंब नये सत्र के नामांकन के संदर्भ में विज्ञापन का प्रसारण करना सुनिश्चित करेंगे; ताकि ससमय नये सत्र के लिए नामांकन लिया जा सके।

07) कार्यसूची की मद संख्या-06 : विगत बैठक के निर्णयानुसार वर्तमान प्राचार्य श्री संतोष कुमार के परीक्ष्यमान अवधि से संबंधित वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन को सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार समीक्षोपरान्त नेतरहाट विद्यालय समिति की नियुक्ति, सेवाशर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के नियम-13 के आलोक में वर्तमान प्राचार्य, श्री संतोष कुमार की सेवा सम्पुष्ट की गई। तद्नुसार नियमावली के नियम-08 के आलोक में सेवा संपुष्टि हेतु आदेश निर्गत के लिए सभापति को प्राधिकृत किया गया। प्रासंगिक विषय पर निर्णय के क्रम में प्राचार्य को बैठक कक्ष से बाहर रखा गया।

08) कार्यसूची की मद संख्या-07 : राज्य कर्मियों की भाँति नेतरहाट विद्यालय समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को झारखण्ड सरकार के प्रभावी नियम के आलोक में स्थानांतरण यात्रा-भत्ता का भुगतान किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

Kamini Kumar

Santal

09) **कार्यसूची की मद संख्या–08** : सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2025 की समीक्षा की गई। सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत समिति के कार्यालय पत्रांक–31/ने.वि.स./2025, दिनांक–26.05.2025 के माध्यम से परीक्षाफल की विवरणी विहित प्रारूप में प्राचार्य से माँगी गई थी। परीक्षाफल की विवरणी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समीक्षोपरांत सदस्यों द्वारा पाया गया कि गणित एवं रसायनशास्त्र में परीक्षा परिणाम औसतन कमतर है, संप्रति विद्यालय में **गणित के 04 एवं रसायनशास्त्र के 02 शिक्षक कार्यरत हैं।** प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को यह निर्देश हुआ कि इन विषयों के शिक्षकों से कारण पृच्छा करते हुए अपने अभिमत के साथ कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आगामी परीक्षाफल बेहतर हो सके इसके लिए प्राचार्य को यह निर्देश हुआ कि समय–समय पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनसे शिक्षण कार्य लिया जाय तथा बीच–बीच में मॉक टेस्ट का भी आयोजन कराया जाय, ताकि छात्रों के भावी प्रदर्शन का आकलन हो सके एवं परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। विद्यालय के शिक्षकों को बेहतर कार्य–योजना तैयार कर शैक्षणिक गतिविधियों को रुचिकर बनाने का दायित्व दिया जाय।

10) **कार्यसूची की मद संख्या–09** : श्री रामप्रताप प्रसाद, धातुकला प्रशिक्षक, द्वारा अपनी पत्नी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संदर्भ में पूर्व में समर्पित अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श किया गया। विमर्शोपरांत वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों के चिकित्या व्यय की प्रतिपूर्ति का मामला दिनांक–09.09.2024 को सम्पन्न हुई शासी निकाय की 13वीं बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसपर स्पष्ट निर्णय/निर्देश अप्राप्त है। अतएव, इस संदर्भ में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेशित किया गया कि पुनः इस संदर्भ में शासी निकाय की बैठक में निर्देश प्राप्त करते हुए अनुवर्त्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

11) **कार्यसूची की मद संख्या–10** : संविदा शिक्षिका, श्रीमती स्मृति सिंह द्वारा मातृत्व अवकाश का मानदेय भुगतान करने का आवेदन प्राचार्य द्वारा संचिका के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया; तद्नुसार, संचिका में संधारित नियुक्ति पत्र के कंडिका–01 में स्पष्ट उल्लेख है कि "निर्धारित मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का अनुलाभ देय नहीं होगा।" तद्नुसार श्रीमती सिंह द्वारा समर्पित आवेदन को अस्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया।

12) **कार्यसूची की मद संख्या–11**: विद्यालय के छात्रों को पेशेवर शिक्षा यथा; मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु बाह्य स्तर पर कोचिंग व्यवस्था संचालित किये जाने का निर्देश प्राचार्य

Kamini Kumar
02.07.2025

सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को दिया गया। इस संदर्भ में प्राचार्य को अविलम्ब कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।

13) **कार्यसूची की मद संख्या–12 :** विद्यालय में AI Lab के अधिष्ठापन हेतु समुचित कार्रवाई हेतु प्राचार्य को निर्देश दिया गया कि प्रासंगिक विषय पर समुचित कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे।

14) **कार्यसूची की मद संख्या–13 :** श्री राकेश कुमार, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के निलंबन विमुक्ति के संदर्भ में गठित जाँच समिति की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई। अपने प्रतिवेदन में समिति ने यह अनुशंसा की है कि "श्री राकेश कुमार को उनके कार्यशैली में सुधार लाने हेतु एक चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है।" तद्नुसार प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि समिति के रिपोर्ट के आधार पर श्री राकेश कुमार को एक अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए कि "भविष्य में विद्यालय विरोधी कार्यों में संलिप्तता पाये जाने अथवा शैक्षणिक कार्यो का सफल निर्वहन नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।" चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निलंबन वापस करने हेतु निदेशित किया गया।

श्री अतुल रंजन एक्का, शिक्षक के प्रसंग में गठित समिति द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि श्री एक्का को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना दी गई थी, परन्तु श्री एक्का अपने गाँव में होने की सूचना देने का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा रिपोर्ट में इस आशय का उल्लेख किया है कि चूँकि श्री एक्का संप्रति निलंबित है एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय समिति कार्यालय, रांची बनाया गया है, अतएव, नियमानुसार उन्हें वर्षावकाश देय नहीं होगा। इस संदर्भ में प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि अविलंब एक पत्र श्री अतुल रंजन एक्का को प्रेषित किया जाय; तद्नुसार सम्यक विचारोपरांत श्री अतुल रंजन एक्का की निलंबन अवधि विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति के विस्तृत रिपोर्ट आने पर ही उनकी निलंबन विस्तारित उनका विमुक्ति के संबंध में समुचित निर्णय ली जाएगी।

15.) **कार्यसूची की मद संख्या–14 :** नेतरहाट आवासीय विद्यालय/नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राप्त सहायता अनुदान (योजना एवं गैर योजना मद) की राशि जो संप्रति कोषागार, लोहरदगा के P/L खाते में संधारित है, के प्रसंग में प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश हुआ कि लेखाशाखा के माध्यम से प्रासंगिक विषय पर एक विस्तृत विवरणी, चल रहे योजनाओं की विवरणी एवं Liability की विवरणी अपने सुझाव/मंतव्य के साथ समिति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Kamini Kumar
02.07.25

16. अन्यान्य :

(i) विगत 71वीं बैठक के निर्णय के अनुक्रम में प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा सदस्यों को बताया गया कि श्री रवि प्रकाश सिंह के निलंबन विमुक्ति के संदर्भ में दिनांक-24.05.2025 के माध्यम से जाँच पदाधिकारी द्वारा विद्यालय कार्यालय को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराई गयी थी; जाँच पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में श्री रवि प्रकाश सिंह को विद्यालय कार्यालय पत्रांक-1088 दिनांक-02.06.2025 के माध्यम से अंतिम चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए निलंबन विमुक्त किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त प्राचार्य द्वारा निलंबन वापसी की कार्रवाई की संपुष्टि की गई एवं सभी सदस्यों द्वारा प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में अगर श्री रवि प्रकाश सिंह के स्तर से किसी प्रकार के लापरवाही अथवा अनुशासनहीन कृत्य किये जाते है तो उनपर कड़ी कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा करेगें।

(ii) प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि संविदा कर्मियों के आश्रितों अथवा अन्य दैनिक कर्मी (जो कार्य करने में कुशल एवं दक्ष हो) को उनके कार्य प्रणाली, कार्य उपयोगिता एवं तकनिकी विशेषज्ञता के आधार पर अपने स्तर से समीक्षा कर पारिश्रमिक पारिमार्जन हेतु कार्रवाई करें ताकि कर्मियों का कार्यमनोबल बढ़ सके।

सभी सदस्यों की सहमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 02-7-2025

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति
नेतरहाट

Kamini Kumar
02.07.2025

02/07/2025

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

<u>नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति, की दिनांक–02.07.2025 (बुधवार) को आहूत समिति कार्यालय रांची में 72वीं बैठक की उपस्थिति</u> :–

<u>उपस्थिति</u> :

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 02-7-2025
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	
3.	श्री राजेश बाखला, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	[signature] 02/07/2025
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), झारखण्ड, राँची।	सदस्य	Kamini Kumar 02.07.2025
5.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	[signature] 02/07/2025

ज्ञापांक– 39/ने.वि.स./2025 रांची, दिनांक–02.07.2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 02-7-2025

(सभापति)
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।